न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 81/15 (RCMS No. 2015/00054) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. दौजी पुत्र सुखलाल जाति माली निवासी ग्राम सैंधली तहसील भुसावर जिला भरतपुर
2. बाबू
3. बत्तू
4. हरी
5. मानसिंह

पिसरान भौंदू जाति माली निवासी सैंधली तहसील भुसावर जिला भरतपुर

...........अपीलान्ट

बनाम

1. नत्थी
2. चिरमोली
3. रामप्रसाद

पिसरान जौहरी जाति माली निवासी सैंधली तहसील भुसार जिला भरतपुर

4. राजस्थान सरकार पैरोकार सरकार भरतपुर

.... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर भुसावर के निर्णय दिनांक 03.06.2015

उपस्थितिः—

1. श्री पुरूषोत्तम मुदगल वकील अपीलान्ट
2. श्री महाराज सिंह वकील रैस्पो0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नि र्ण य **दिनांकः— 16.03.2018**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर भुसावर के निर्णय दिनांक 03.06.2015 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रैस्पो0 नत्थी वगैरहा ने अधीनस्थ न्यायालय में नामान्तरकरण संख्या 163 दिनांक 12.11.72 वॉके ग्राम दयापुर तहसील वैर हाल भुसावर के विरूद्ध इस आशय की अपील पेश की थी कि विवादित आराजी ख0 नं0 337/3 रकवा 5 बीघा, 345 रकवा 27 बीघा 6 विस्वा वॉके ग्राम दयापुर तहसील भुसावर अपीलान्ट व रैस्पो0 की पैत्रिक आराजी है जो अपने बाबा/पिता स्व0 सुखलाल से विरासतन प्राप्त हुई है। सुखलाल 1972 में फौत होने से उक्त आराजी का दाखिल

खारिज ग्राम सैधली व दयापुर का सुखलाल के वारिस जौहरी, भौदू व दौजी के नाम भरकर पेश किया गया था। ग्राम सैधली का नामा0 सं0 295 तीनों के नाम दर्ज किया गया। लेकिन नामा0 सं0 163 ग्राम दयापुर तहसील वैर हाल भुसावर को ग्राम पंचायत में पेश करने से पूर्व नामा0 के खाना नं0 11 की प्रविष्टि को काटते हुऐ, नत्थी वगैरहा के पिता जौहरी का नाम हटाते हुऐ फर्जी तौर पर केवल मात्र रैस्पो0 सं0 1 व 2 भौदू व दौजी के नाम दिनांक 12.11.72 को तस्दीक कर दिया। जौहरी का नाम फर्जी तौर पर हटा दिया था। अपीलान्ट को दिनांक 21.12.13 को नकल जमाबन्दी लेने पर उक्त नामा0 की जानकारी हुई। जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद है। अतः अपील स्वीकार कर नामा0 सं0 163 दिनांक 12.11.72 को संशोधित किया जाकर अपीलान्ट/रैस्पो0 नत्थी वगैरहा स्व0 पिता जौहरी का 1/3 हिस्सा दर्शाते हुऐ दाखिल खारिज में 1/3 हिस्सा दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0/अपीलान्ट ने जबाब पेश कर कथन किया कि ग्राम पंचायत को पक्षकार नही बनाया गया है। नामा0 सं0 163 में खाना संख्या 11 में इन्द्राज करने में पटवारी से कॉट छॉट हो गयी थी जिसको दुरूस्त करते हुऐ नामा0 तस्दीक कराया गया था। नामा0 को ग्राम पंचायत सैधली ने सही व सच होना स्वीकार करते हुऐ दिनांक 12.11.72 को सर्व सम्मति से पंचायत की मीटिंग में तस्दीक किया गया है। अपीलान्ट/रैस्पो0 के पिता जौहरी को उक्त नामा0 की जानकारी थी। जौहरी ने अपने जीवन काल में किसी प्रकार की कोई आपत्ती नामा0 के संबंध में नही की है। अब करीब 42 वर्ष बाद जौहरी की मृत्यु के पश्चात उनके मन में बद्यान्ती आ गई है। नामा0 संख्या 163 जौहरी की सहमति के आधार पर दर्ज किया गया था। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे। पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र धारा 151 व 153 में चल रही थी जिसमें आगामी पेशी 02.06.15 नियत थी। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.06.15 को न्याय आपके द्वारा 2015 कैम्प दयापुर में अपील को रखकर नामान्तरकरण निरस्त कर दिया तथा प्रकरण तहसीलदार भुसावर को पुनः यथोचित निर्णय के लिये रिमाण्ड कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि विवादित आराजी ख0 नं0 337/3 रकवा 5 बीघा 345 रकवा 27 बीघा 6 विस्वा वॉके ग्राम दयापुर तहसील भुसावर के अपीलान्ट रिकार्डेड खातेदार हैं। अपीलान्ट व रैस्पो0 एक ही पूर्वज सुखलाल की संतान है। सुखलाल के देहान्त के पश्चात जौहरी सुखलाल के जीवनकाल में ही अलग हो गया था और उसने अपने 1/3 हिस्से की जमीन सुखलाल यानी अपने पिता के जीवन काल में ही ले ली थी जिसका मृतक जौहरी खातेदार हो गया था और जौहरी के मृत्यु के बाद उसके वारिसान के नाम है। नामा0 सं0 163 को भरते समय जौहरी मृतक ने अपनी स्वेच्छा से ग्राम दयापुर की जमीन छोड़ दी थी। क्योंकि उसने अपने पिता के जीवन काल में ही हिस्से के मुताविक आराजी प्राप्त कर ली थी। इसलिये उसने ईमानदारी से अपने दोनों भाईयों भौंदू व दौजी के नाम नामा0 सं0 163 तस्दीक होने की कोई उज्र नही की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड का अवलोकन नही किया है। ग्राम पंचायत ने पूर्ण जॉच कर एवं जौहरी की उपस्थिति में ही नामा0 तस्दीक किया था। उनका तर्क है कि सुखलाल की पुत्री सूजो उर्फ सूरजकौर ने शपथ पत्र पेश कर शपथ पत्र में अंकित किया है कि सुखलाल ने अपने जीवन काल में ही जौहरी को 8 बीघा 5 विस्वा भूमि दे दी थी ग्राम दयापुर की जमीन जौहरी ने मेरे दो भाईयों को देकर सिर्फ दो

भाईयों के नाम नामान्तरकरण करवाया था। इसके अलावा सरस्वती देवी पत्नि प्रभू दयाल सैनी पुत्री रामफल ने शपथ पत्र पेश कर अंकित किया है कि मेरी मॉ का नाम गुलकन्दी है। गुलकन्दी सुखलाल की लड़की थी और सुखलाल मेरे नाना है सुखलाल ने अपने जीवन काल में ही जौहरी को सवा 8 बीधा जमीन देकर अलग कर दिया था। इसके अलावा महेन्द्र पुत्र रामस्वरूप जो सुखलाल की पुत्री का पुत्र है, ने शपथ पत्र पेश कर अंकित किया है कि मेरी मॉ का देहान्त हो चुका है लेकिन उन्होंने पूर्व में मुझे बताया कि ग्राम दयापुर में स्थित आराजी में से मेरे भाई जौहरी का कोई हिस्सा नही है क्योकि मेरे पिता ने अपने जीवन काल में सवा 8 बीघा जमीन पूर्व में ही जौहरी को दे दी थी। उनका यह भी तर्क है कि रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में मृत व्यक्ति के विरूद्ध 42 वर्ष बाद अपील पेश की है, जो पूर्ण रूपेण मियाद बाहर है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.06.15 को जन सुनवाई ग्राम दयापुर में पारित किया है जो अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में आदेश पारित किया है। जबकि 42 वर्ष बाद कोई निर्णय हो तो उभय पक्ष को सुनकर आदेश पारित कराना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय निर्णय पारित किया है। उक्त आदेश की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 16.09.15 को हुई। जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश की है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा नामा0 सं0 163 बहाल किया जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 का तर्क है कि विवादित आराजी अपीलान्ट व रैस्पो0 की पैत्रिक आराजी है जो उनके बाबा/पिता स्व0 सुखलाल से विरासतन प्राप्त हुई है। सुखलाल का देहान्त 1972 में हो गया था। सुखलाल की आराजी दो गॉवों में थी। गॉव सैधली की आराजी का विरासतन नामान्तरकरण सुखलाल के तीनों लड़के जौहरी, भौंदू व दौजी के नाम दर्ज किया गया था। ग्राम दयापुर की आराजी का नामान्तरकरण तीनों लड़के जौहरी, भौंदू व दोजी के नाम भरा गया था परन्तु बाद में उक्त इन्द्राज को काटकर केवल भौदू व दौजी पिसरान सुखलाल के नाम दर्ज कर दिया। उक्त नामा0 फर्जी तरीके से तस्दीक किया गया है। उनका तर्क है कि विवादित आराजी में तीनों भाईयों का 1/3–1/3 हिस्सा होना चाहिये था। अपीलान्ट का यह तर्क उचित नही है कि पिता ने अपने जीवन काल में रैस्पो0 को भूमि अलग से दे दी थी। अपीलान्ट ने इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नही की है। पक्षकारों के मध्य घोषणा का दावा सक्षम न्यायालय में पेण्डिंग है। अधीनस्थ न्यायालय ने तीनों भाईयों का बहिस्सा बराबर मानकर कानून सम्मत् निर्णय पारित किया है। प्रकरण तहसीलदार भुसावर को उभय पक्ष को सुनकर यथोचित निर्णय के लिये रिमाण्ड किया है। जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी ख0 नं0 337/3 रकबा 5 बीघा, 345 रकवा 27 बीघा 6 विस्वा वॉके ग्राम दयापुर तहसील भुसावर स्व0 सुखलाल से विरासत का नामा0 सं0 163 सुखलाल के वारिस जौहरी, भौदू व दौजी के नाम भरकर पेश किया गया था। ग्राम पंचायत में पेश करने से पूर्व नामा0 के खाना नं0 11 की प्रविष्टि को काटते हुऐ, नत्थी वगैरहा के पिता जौहरी का नाम हटाते हुऐ फर्जी तौर पर केवल मात्र रैस्पो0 सं0 1 व 2 भौदू व दौजी के नाम दिनांक 12.11.72 को तस्दीक कर दिया।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

जिसके विरूद्ध रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.06.15 को न्याय आपके द्वारा 2015 कैम्प दयापुर में अपील को रखकर नामान्तरकरण निरस्त कर दिया तथा प्रकरण तहसीलदार भुसावर को पुनः यथोचित निर्णय के लिये रिमाण्ड कर दिया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज से जाहिर है कि प्रकरण प्रार्थना पत्र धारा 151 व 153 सीपीसी की बहस में चल रहा था। जिसमें आगामी पेशी 17.07.14 थी। इसके बाद दिनांक 02.06.15 तक उक्त प्रकरण प्रार्थना पत्र की बहस में चलता रहा। अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प दयापुर में अपील पत्रावली को रखकर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना तथा उभय पक्ष की बहस सुने बिना ही प्रकरण का निस्तारण कर अपील स्वीकार कर दी तथा प्रकरण तहसीलदार भुसावर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया कि उभय पक्ष को सुना जाकर पुनः यथोचित निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि सम्मत् नही कहा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया है और न ही उभय पक्ष को मैरिट पर सुनकर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस बताया कि विवादित आराजी ख0 नं0 337/3 रकवा 5 बीघा 345 रकवा 27 बीघा 6 विस्वा वॉके ग्राम दयापुर तहसील भुसावर के अपीलान्ट रिकार्डेड खातेदार हैं। अपीलान्ट व रैस्पो0 एक ही पूर्वज सुखलाल की संतान है। सुखलाल के देहान्त के पश्चात जौहरी सुखलाल के जीवनकाल में ही अलग हो गया था और उसने अपने 1/3 हिस्से की जमीन सुखलाल यानी अपने पिता के जीवन काल में ही ले ली थी जिसका मृत जौहरी खातेदार हो गया था। जौहरी ने अपने जीवन काल में उक्त नामा0 के संबंध में कोई आपत्ती नही की थी। हम विद्वान वकील अपीलान्ट के इस तर्क से सहमत हैं। दोनों ग्रामों के नामान्तरकरण एक साथ दर्ज किये गये थे। यदि जौहरी को कोई आपत्ती होती तो वह अपने जीवन काल में ही इसकी आपत्ती दर्ज कराता। परन्तु ऐसा नही किया गया। मृतक जौहरी ने अपने पिता के जीवन काल में ही हिस्से के मुताविक आराजी प्राप्त कर ली थी इसलिये उसने ईमानदारी से अपने दोनों भाईयों भौंदू व दौजी के नाम नामा0 सं0 163 तस्दीक होने की कोई उज्र नही की थी।

विवादित नामा0 के संबंध में सुखलाल की पुत्री सूजो उर्फ सूरजकौर द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र से होती है। सूजो ने शपथ पत्र शपथ पत्र में अंकित किया है कि सुखलाल ने अपने जीवन काल में ही जौहरी को 8 बीघा 5 विस्वा भूमि दे दी थी। ग्राम दयापुर की जमीन जौहरी ने मेरे दो भाईयों को देकर सिर्फ दो भाईयों के नाम नामान्तरकरण करवाया था। इसके अलावा सुखलाल की पुत्री गुलकन्दी की पुत्री सरस्वती देवी ने शपथ पत्र पेश कर अंकित किया है कि मेरी मॉ का नाम गुलकन्दी है। गुलकन्दी सुखलाल की लड़की थी और सुखलाल मेरे नाना है। सुखलाल ने अपने जीवन काल में ही जौहरी को सवा 8 बीधा जमीन देकर अलग कर दिया था। इसके अलावा महेन्द्र पुत्र रामस्वरूप ने शपथ पत्र पेश कर अंकित किया है कि मेरी मॉ का देहान्त हो चुका है लेकिन उन्होंने पूर्व में मुझे बताया कि ग्राम दयापुर में स्थित आराजी में से मेरे भाई जौहरी का कोई हिस्सा नही है क्योकि मेरे पिता ने अपने जीवन काल में सवा 8 बीघा जमीन पूर्व में ही जौहरी को दे दी थी। इससे जाहिर है कि विवादित नामान्तरकरण के संबंध में परिवार को जानकारी थी। जौहरी ने स्वेच्छा से ग्राम दयापुर की भूमि दोनों भाईयों के नाम करा दी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

को बिना सुने एवं बिना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर निर्णय पारित किया था जो उचित नही है।

रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट व मृत भाई भौंदू के विरूद्ध 42 वर्ष बाद अपील पेश की है, जो पूर्ण रूपेण मियाद बाहर है। बाद में रैस्पो0 ने 151 व 153 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है जिस पर निर्णय किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने नियम विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो विधि सम्म्त् नही है। रैस्पो0 ने 42 वर्ष बाद अपील पेश की है, जो स्पष्टतः मियाद बाहर थी। अधीनस्थ न्यायालय को पहले मियाद के बिन्दु पर निर्णय पारित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद बाहर अपील को तथा प्रार्थना पत्र 151 व 153 का निर्णय किये बिना चार लाइन का आदेश पारित किया है जो स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नही आता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य व इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ पत्रों से यह जाहिर है कि रैस्पो0 के मृतक पिता जौहरी ने अपनी सहमति से ग्राम दयापुर का नामान्तरकरण दर्ज करवाया था। जिसमें उसकी कोई आपत्ती नही थी। यदि जौहरी को कोई आपत्ती उक्त नामान्तरकरण से हाती तो वह अपने जीवन काल में ही अपील पेश कर सकता था। जबकि जौहरी ने उक्त नामा0 के संबंध में कोई आपत्ती पेश नही की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो नलिटी है। पक्षकारों के मध्य घोषणा का दावा सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। दावे के निर्णय से ही पक्षकारों के स्वत्व व अधिकार तय होंगे। नामान्तरकरण एक सरसरी कार्यवाही है जिसमें हितों का निर्धारण नही किया जा सकता है। अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर होने व सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.06.2015 निरस्त किया जाता है तथा नामान्तरकरण संख्या 163 वॉके ग्राम दयापुर तहसील भुसावर बहाल करते हुऐ आदेश दिनांक 12.11.72 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official